155

संख्या–579 / VI-2 / 2013–71(5)2012

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अवचनबद्ध मदों में धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1947 / सं0नि0उ0 / दो–3 / 2013–14 दिनांक 16 सितम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या–212 / VI–2 / 2013–71(17) / 2012 टी0सी0 दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में संस्कृति विभाग की विभिन्न इकाईयों हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में ₹40.00 लाख (₹चालीस लाख) मात्र की धनराशि निम्नानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

आयोजनागत
(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट का आवंटन
अनुदान संख्या–11	
2205– कला एवं संस्कृति–00 102– कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 08– रंगमण्डल स्थापना–00 20– सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	500
35– मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता–00 20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	3500
योगः–	4000

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284 / XXVII(1) / 2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय

को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीषर्क–2205 के उपरोक्त विवरणानुसार डाला जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–579/VI-2/2013–71(17)2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।